प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा 2017–18

प्रश्नपत्र निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश

1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 25 रखा जाना सुनिश्चित किया गया है।
2. प्रत्येक प्रश्न–पत्र का समय 2.30 घण्टे, अंक भार 80 निर्धारित है।
3. प्रश्न–पत्र का निर्माण कक्षा 8 के लिए राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, अधिगम प्रतिफल (Learning outcomes) एवं एसआईईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकों (सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री सहित) के आधार पर किया जाना है।
4. प्रश्न–पत्र निर्माण में पाठ्यक्रम यह तय करने में मदद करेगा कि प्रश्नों में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन किया जाना है। पाठ्यपुस्तकें इस बात में मदद करेगी कि छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम में दिए गए अधिगम क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के शैक्षिक अनुभव दिए गए हैं।
5. शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में वर्तमान में आये बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इसे संशोधित ब्लूम टैक्सॉनमि 2001 (एन्डरसन एवं क्राथवोहल द्वारा) के आधार पर तैयार किया गया है।
6. संशोधित ब्लूम टैक्सॉनमि के आयाम स्मरण करना, समझना, अनुप्रयोग करना के साथ–साथ ब्लूप्रिंट को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि संज्ञानात्मक उच्च श्रेणियों जैसे – विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सृजन करना को भी अधिभार दिया जाए। इसलिए प्रश्नपत्र निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जाए कि उच्चत्तर शिक्षाक्रमणीय उद्देश्यों (Higher curricular objectives) से संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से अधिभार के अनुरूप हों।
7. प्रश्न–पत्रों में ब्लूप्रिंट के अनुसार निम्न तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाये जैसे– बहुवैकल्पिक, अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबन्धात्मक ।
8. प्रश्न इस प्रकार के हों जो छात्र/छात्राओं को सोच–समझकर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके जवाब/उत्तर देने के लिए प्रेरित करे और अवसर भी दे।
9. सोच–समझकर उत्तर देने वाले प्रश्नपत्र बनाने के लिए यदि चित्र, रेखाकंन किया जाना आवश्यक है तो अवश्य बनाएं। यह ध्यान रखें कि प्रश्नपत्र समझना और अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर उत्तर देने के अवसर होना छात्र/छात्रा का अधिकार है अतः प्रश्नपत्र इसी प्रकार का बनाएं।
10. प्रश्नपत्र निर्माण पाठ्यक्रम आधारित किया जाना है **पाठ्यपुस्तक सहायक साधन के रूप में है**, तथा बच्चों में पाठ्यक्रम से अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स को देखा जाना सुनिश्चित किया गया है। यहां यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रश्न इस प्रकार के हों जो बच्चों की लर्निंग आउटकम्स का आकलन करने में मदद करे ना कि सिर्फ उनकी रटने की क्षमता या याद रखने की क्षमता का आकलन करे।
11. प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि निर्धारित अवधि में छात्र/छात्राओं की क्षमताओं का आकलन कर सकें।
12. प्रश्न–पत्र निर्माण में ''सड़क सुरक्षा'', स्वच्छता को प्रश्न–पत्रों में 4 अंक देना सुनिश्चित किया गया है जिसके तहत् विषय वस्तु एवं अधिगम प्रतिफल के साथ इसे जांचा जाना है। अतः प्रश्न–पत्र निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाए कि इससे संबंधित प्रश्न अवश्य हों।

www.rajteachers.com

13. तृतीय भाषा में सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता की सामग्री उपलब्ध न होने के कारण तृतीय भाषा के प्रश्न–पत्रों में उपरोक्त का समावेश आवश्यक नहीं है।
14. प्रश्न–पत्र के किसी एक प्रश्न में विषय की प्रकृति के अनुसार एक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मलित किया जा सकता है।
15. अंग्रेजी विषय में ब्लूप्रिंट भाषा की प्रकृति एवं पाठ्यक्रम में स्थान (द्वितीय भाषा) उद्देश्यों के आधार पर विस्तारित किया गया है प्रश्न–पत्र निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाए कि पठन कौशल आधारित प्रश्न पूर्णतया पाठ्यपुस्तक आधारित ना हों।
16. विभिन्न विषयों की प्रकृति के अनुसार इन प्रदत्त पत्रों के आधार पर नील–पत्रों के आधार पर प्रश्न–पत्रों का निर्माण किया जाए। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित विषयों में एन्डरसन एवं क्राथवेल्ह द्वारा संशोधित टेक्सोनॉमी के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार हैं–
    (i) स्मरण करना
    (ii) समझना
    (iii) अनुप्रयोग करना
    (iv) विश्लेषण करना
    (v) मूल्यांकन करना
    (vi) सृजन करना (नवीन विचार पर आधाारित)
    (vii) कौशल
17. हिंदी, संस्कृत, उर्दू पंजाबी, सिंधी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में एन्डरसन एवं क्राथवेल्ह द्वारा संशोधित टेक्सोनॉमी के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार हैं–
    (i) स्मरण करना
    (ii) समझना
    (iii) अनुप्रयोग करना
    (iv) विश्लेषण करना
    (v) मूल्यांकन करना
    (vi) सृजन करना (नवीन विचार पर आधारित)

    उपर्युक्त भाषागत विषयों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के अर्न्तगत मुख्यतः पढ़कर समझना (पठन कौशल) तथा लिखकर अभिव्यक्त (लेखन कौशल) करना पर अधिक बल दिया गया है।
18. द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय में एन्डरसन एवं क्राथवेल्ह द्वारा संशोधित टेक्सोनॉमी के आधार पर उद्देश्य निम्नानुसार हैं–
    - स्मरण करना ()
    - समझना
    - अनुप्रयोग करना
    - सृजन करना (रचना / नवीन विचार पर आधारित)

www.rajteachers.com

The blueprint of English is essentially based on the amalgamation of the two taxonomies.

1. **Remembering**: It refers to recalling and recognizing the lexical and structural and ideational content taught through the prescribed text and learning resources. (भावानुवाद– जानकारी का स्मरण– इससे तात्पर्य निर्धारित अधिगम सामग्री तथा निर्धारित पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढाए गए पाठो नवीन शब्दावली तथा नवीन वाक्य संरचनाओ से संबधित जानकारी के स्मरण से है।)

2. **Understanding:** It refers to the comprehension based on the unseen passage/text and it aims at testing/evaluating the sub skills of reading comprehension. It does not refer to the understanding based on the prescribed text. (भावानुवाद– पठन अवबोधः– इससे तात्पर्य अपठित गद्य के पठन अवबोध तथा पठन उपकोशल के परिक्षण से है। इससे तात्पर्य पाठ्यपुस्तक में दिए गए गद्य पर आधारित प्रश्नो से नही है। (क्योंकि पुस्तक के पाठ् के प्रश्न रटने की प्रवति को सबल बनाते है।

3. **Applying:** It refers to using the lexical and structural items along with the understanding of the language content and language skills in contextually new and challenging situations. (भावानुवाद– भाषा तत्वो का प्रयोग :– इससे तात्पर्य भाषा की विषय वस्तु (नवीन शब्दावली नवीन वाक्य संरचना) का नवीन तथा चुनोती पूर्ण भाषायी सन्दर्भो में प्रयोग करना ।

4. **Creating:** It refers to applying the prescribed lexical and structural items and ideational content through the prescribed language skills (Writing) in a new, imaginative and creative manner for communicative purposes. (भावानुवाद– नवीन विचार आधारित सृजनः– इससे तात्पर्य भाषा की विषय वस्तु (नवीन शब्दावली नवीन वाक्य संरचना) का कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक तरीके से प्रयोग करना।)